

## वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

### A2K+ कार्यक्रम

#### सहायता के लिए दिशानिर्देश

1. निम्नलिखित विषयों को लक्षित करने वाले प्रस्तावों का समर्थन किया जाना:

- (i) प्रौद्योगिकी का संवर्धन, विकास और उपयोग, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार;
- (ii) प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, मूल्यांकन, हस्तांतरण, व्यावसायीकरण और आईपीआर;
- (iii) उद्योग, संस्थान संपर्क;
- (iv) हैकथॉन जैसे छात्रों और उद्यमियों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देना;
- (v) वास्तविक घटनाओं को समर्थन देना।
- (vi) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कोई अन्य उद्योग और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय

2. सहायता के लिए विचार किए जाने वाले क्षेत्र:

"मेक इन इंडिया" क्षेत्र अर्थात् ऑटो घटक; ऑटोमोबाइल; विमानन; जैव प्रौद्योगिकी; रसायन; निर्माण; रक्षा निर्माण; विद्युत मशीनरी; इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण; खाद्य प्रसंस्करण; आईटी और बीपीएम; चमड़ा; मीडिया मनोरंजन; खनन; तेल और गैस; फार्मास्यूटिकल्स; बंदरगाह; रेलवे; नवीकरणीय ऊर्जा; सड़कें और राजमार्ग; स्थान; कपड़ा; तापीय उर्जा; कल्याण (स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से); पर्यटन और आतिथ्य को छोड़कर;

विभाग भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" अभियान को भी सुदृढ़ करना चाहेगा। A2K+ कार्यक्रम उप-योजना पात्र संस्थानों को कार्यक्रम आयोजित करने, उत्पादों और सेवाओं के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और "वोकल फॉर लोकल" की गति को मजबूती प्रदान करेगा।

3. औद्योगिक अनुसंधान नैनो प्रौद्योगिकी, नई सामग्री, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ / हरित प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट से सम्पन्नता आदि से संबंधित कोई अन्य नवीन विषय या क्षेत्र जिसे तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा उस पर भी सहायता के लिए विचार किया जाएगा।

4. सहायता के लिए विचार की जाने वाली एजेंसियों के प्रकार:

- (i) क्षेत्रीय उद्योग संगठन, निर्यात संवर्धन परिषद सहित उद्योग संघ और वाणिज्य और उद्योग चैंबर;
- (ii) केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और तकनीकी परामर्श संगठनों सहित उनके संबद्ध निकाय (राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा स्थापित)
- (iii) डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त एसआईआरओ और डीएसआईआर के साथ पंजीकृत पीएफआरआई सहित राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान और संगठन;
- (iv) यूजीसी/एआईसीटीई के वेबसाइट पर सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेज;
- (v) एक विशिष्ट कानूनी इकाई वाले संस्थान (जीएफआर 2017 के नियम 228 के अनुसार)।

5. व्यय की निम्नलिखित मदों के लिए डीएसआईआर का सहयोग आंशिक सहयोग होगा:

- (i) इलेक्ट्रॉनिक और छपाई मीडिया में पृष्ठभूमि के कागजात, ब्रोशर, कार्यवाही और अन्य संबंधित प्रकाशनों सहित प्रकाशन और प्रलेखन;
- (ii) संसाधन व्यक्तियों/वक्ताओं/विशेषज्ञों का मानदेय, यात्रा और प्रवास;
- (iii) प्रतिनिधि किट;
- (iv) प्रदर्शनी स्थान;
- (v) हैकथॉन के लिए इनाम और पुरस्कार;
- (vi) टीएसी द्वारा सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर कोई अन्य मद

6. एजेंसी, कार्यक्रम में व्यय किए गए वास्तविक व्यय और डीएसआईआर सहित सभी स्रोतों से आयोजन के लिए उत्पन्न किए गए राजस्व को भी प्रस्तुत करेगी। आवेदक एजेंसी द्वारा योगदान की जाने वाली राजस्व में किसी भी प्रकार की कमी और उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त राजस्व को डीएसआईआर की सहायता से कम किया जाएगा।

7. मात्रात्मक परिमाण, परिणामों और लाभों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करने का प्रस्ताव;

8. किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी एक एजेंसी के तीन से अधिक प्रस्तावों का सहायता नहीं किया जाएगा।